मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल 462004

क्रमांक एफ सी-15/2012/1/3, भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर, 2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश.

विषय:-सीधी भरती के लिए चयनित उम्मीदवारों के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति आदेश जारी करने बाबत।

—0—

शासकीय सेवाओं में नियुक्त व्यक्ति सचरित्र हो तथा रिकार्ड आपराधिक प्रवृत्ति का न हो, इसलिए सीधी भरती के लिए चयनित उम्मदवारों की सेवा में नियुक्ति के पूर्व उनका चरित्र सत्यापन पुलिस के माध्यम से कराया जाता है। राज्य शासन के ध्यान में लाया गया है कि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट प्राप्त होने में विलम्ब होने के कारण चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करने में विलम्ब होता है। इससे चयनित उम्मीदवार लम्बे समय तक नियुक्ति से वंचित तो रहते ही हैं, पद रिक्त रहने के कारण शासकीय कार्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

2/ अतः राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि सीधी भरती के लिये चयनित उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र प्राप्त कर चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सशर्त नियुक्ति आदेश जारी किये जाएं। ऐसे नियुक्ति आदेशों में नियोक्ता द्वारा निम्नानुसार टीप अनिवार्य रूप से अंकित की जाए :-

"यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।"

3/. उक्त व्यवस्था गृह विभाग की पुलिस सेवाओं पर लागू नहीं होगी।

4/ चयनित उम्मीदवारों से लिये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न [illegible] रहा है।

5/ उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के
तथा आदेशानुसार

(आर.के. गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां क्रमांक एफ सी–15/2012/1/3, भोपाल, दिनांक24नवम्बर, 2012

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
9. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल।
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर।
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
15. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
16. अवर सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण/अभिलेख/पुस्तकालय।
17. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(आर.के. गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

फोटो

: : शपथ पत्र : :

मैं .... आयु ....पुत्र / पुत्री / पत्नि ....

निवासी .... शपथपूर्वक कथन करता / करती हूं–

1. यह मेरा चयन .... पद पर हुआ है।
2. यह कि मेरा चरित्र उत्तम है।
3. यह कि मुझे आज दिनांक तक कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है।
4. यह कि मुझ पर आज दिनांक तक किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है।
5. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है।
6. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण / संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है।
7. यह कि मैंने भरती प्रक्रिया में जो भी जानकारियां दी हैं एवं जो दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, वे पूर्णतः सही एवं सत्य है।

8. यह कि यदि मेरे द्वारा जो जानकारियां दी गई हैं और जो [illegible] किये गये हैं, यदि उनमें कोई भी जानकारी/दस्तावेज [illegible] तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा मेरे विरुद्ध अ[illegible] शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सके[illegible] जो कि मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा।

9. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि यदि मेरा नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जाता है और यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता .... सत्यापित करता/करती हूं कि इस शपथ–पत्र की कंडिका क्रमांक 1 लगायत 9 में दी गई समस्त जानकारियां मेरे ज्ञान में एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य एवं सही है, जिनका सत्यापन आज दिनांक .... को .... में किया गया है।

शपथग्रहिता